



महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर ३४, सरोवर विहार समोर, सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४

ि ०२२-६९३८५९००

 ${\bf Email\ ID: contact-secretary@mpsc.gov.in \ \ Website: https://mpsc.gov.in \ , https://mpsconline.gov.in}$

@mpsc_office

@official_mpsc

क्रमांक: डीआरए-०५२२/प्र.क्र.४७१/२०२३/जाहिरात

जाहिरात क्रमांक: ३९८/२०२३ ते ४१३/२०२३

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत **शासकीय दंत** महाविद्यालय व रुग्णालयातील विविध विषयांतील प्राध्यापक, गट-अ, सहयोगी प्राध्यापक, गट-अ आणि सहायक प्राध्यापक, गट-ब या संवर्गातील एकूण ३१ पद भरती करीता विहित ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मार्गावण्यात येत आहेत.

- २. विविध विषयांतील प्राध्यापक, गट-अ शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय
 - २.१ उपलब्ध पदसंख्या:- ०६
 - २.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण |
|-----------------|-----------------|------------|-------|------|--------|------|------|-------|------------|---------|---------|-----------------|--------|------|
| क्रमांक | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (ঙ্ব) | | | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ३९८/२०२३ | दंतव्यंगोपचार- | एकुण पदे | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | शास्त्र | सर्वसाधारण | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | (Orthodontics | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | and | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | Dentofacial | अनाथ | | • | | | | | | | | | | • |
| | Orthopedics) | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण |
| क्रमांक | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (इ) | | | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ३९९/२०२३ | सामाजिक | एकुण पदे | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | दंतशास्त्र | सर्वसाधारण | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | (Public | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | Health | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | Dentistry) | अनाथ | | • | | | | | | | | | | • |
| | | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव | एकूण |
| क्रमांक | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (ঙ্ব) | | | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ४००/२०२३ | दंतविकृती व | एकुण पदे | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | अणुजीवशास्त्र | सर्वसाधारण | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | (Oral | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | Pathology and | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | Microbiology) | अनाथ | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव | एकूण |
| क्रमांक | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (ड) | | | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ४०१/२०२३ | मुखरोगनिदान व | एकुण पदे | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | क्ष-किरणशास्त्र | सर्वसाधारण | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | (Oral Medicine | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | and Radiology) | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण |
| क्रमांक | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (इ) | | | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ४०२/२०२३ | मुखशल्यचिकि- | एकुण पदे | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | त्साशास्त्र | सर्वसाधारण | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | (Oral and | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | Maxillofacial | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | I C | | T | | | _ | | | | | | | | _ |
| | Surgery) | अनाथ | | | | | | | | | | | | |

| जाहिरात | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण |
|----------|------------------|------------|-------|------|--------|------|------------|-------|------------|---------|---------|---------|--------|------|
| क्रमांक | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (ঙ্ভ) | | | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ४०३/२०२३ | दंतपरिवेष्टन | एकुण पदे | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | शास्त्र | सर्वसाधारण | | | | | | | | | | | ०१ | ०१ |
| | (Periodontology) | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |

- ३. विविध विषयांतील सहयोगी प्राध्यापक, गट-अ शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय
 - ३.१ उपलब्ध पदसंख्या:- १३
 - ३.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्रमांक | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
|-----------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| ४०४/२०२३ | कृत्रिमदंतशास्त्र | एकुण पदे | | | ०१ | | | | | | ०१ | ०२ | | ०२ |
| | (Prosthodontics | सर्वसाधारण | | | ०१ | | | | | | ०१ | ०२ | | ०२ |
| | and Crown | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | and Bridge) | खेळाडू | | | | - | | | | | | | | |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्रमांक | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
| ४०५/२०२३ | दंतव्यंगोपचार- | एकुण पदे | | | ०१ | | | | | | | ०१ | | ०१ |
| | शास्त्र | सर्वसाधारण | | | ०१ | | | | | | | ०१ | | ०१ |
| | (Orthodontics | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | and | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | Dentofacial | अनाथ | | | | | | | | | | | | |
| | Orthopedics) | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्रमांक | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
| ४०६/२०२३ | दंतपरिवेष्टन- | एकुण पदे | ०१ | | ०१ | | | | | | | ०२ | ०१ | 03 |
| - | शास्त्र | सर्वसाधारण | ०१ | | ०१ | | | | | | | ०२ | ०१ | 69 |
| | (Periodontology) | महिला | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | · 6// | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्रमांक | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण |
| | ,,,,, | 7.5. | | | (अ) | (ब) | (क) | (ड) | | 3 | 4. | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ४०७/२०२३ | बालदंतरोग- | एकुण पदे | ०१ | | | | | | | | | ०१ | ०१ | ०२ |
| | शास्त्र | सर्वसाधारण | ०१ | | | | | | | | | ०१ | ०१ | ०२ |
| | (Paediatric | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | and | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | Preventive | अनाथ | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | | 911119 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Dentistry) | | | | | | | | | | | | I | |
| जाहिरात क्रमांक | Dentistry) विषय | दिव्यांग प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
| | विषय | दिव्यांग प्रवर्ग | | अ.ज. | (अ) | भ.ज. (ब) | | भ.ज. (ड) | | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | आरक्षित | अराखीव (खुला) ०१ | एकूण पदे ०३ |
| जाहिरात क्रमांक | | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे | ०१ | | (अ) | (ब) | (क) | (इ) | वि.मा.प्र. | | | | (खुला) | पदे |
| | विषय सामाजिक दंतशास्त्र | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण | | | (अ) | (ब) | (क) | (ड) | वि.मा.प्र. | | | आरक्षित ०२ | (खुला) ०१ | पदे ०३ |
| | विषय सामाजिक • | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला | ०१ | | (अ) | (ब) | (क) | (ड) | वि.मा.प्र. | | | आरक्षित ०२ | (खुला) ०१ | पदे ०३ |
| | विषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला खेळाडू | 08 08 | | (अ) ০ং ০ং | (অ) | (क) | (ड) | fa.मा.प्र. | | | आरक्षित ०२ ०२ | (खुला) ০१ ০१ | पदे ०३ ०३ |
| | विषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public Health | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला खेळाडू अनाथ | 08 08 | | (अ) ০ং ০ং | (অ) | (क) | (ड) | | | | आरक्षित ०२ ०२ | (खुला) ০१ ০१ | पदे ०३ ०३ |
| 806/208 | विषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public Health | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला खेळाडू | 08 08 | | (अ) ०१ ०१ | (ৱ) | (क) भ.ज. | (ভ) भ.ज. | वि.मा.प्र. | | | आरक्षित | (खुला) | पदे ०३ ०३ |
| ४०८/२०२३ | विषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public Health Dentistry) | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला खेळाडू अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग | ०१ ०१ अ.जा. | अ.ज. | (अ) ०१ ०१ वि.जा. (अ) | (ৱ) ম.ज. (ৱ) | (ক) भ.ज. (क) | (ड) भ.ज. (ड) | а.нт. у. а.нт. у. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | अारक्षित | (खुला) | पदे |
| 800/2023 | विषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public Health Dentistry) विषय दंतविकृती व | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पर्द सर्वसाधारण महिला खेळाडू अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग | ०१ अ.जा. | अ.ज. | (अ) | (國) (國) | (क) (क) | (इ) भ.ज. (इ) | Га.нт.у. Га.нт.у. | आ.दु.घ. | ş.मा.व. | अारक्षित ०२ एकूण आरक्षित ०२ | (खुला) | <u> पदे</u> |
| ४०८/२०२३ | विषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public Health Dentistry) विषय दंतविकृती व अणुजीवशास्त्र | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला खेळाडू अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण | ०१ ०१ अ.जा. | अ.ज. | (अ) -१ (अ) -१ | (অ) | (क) (क) | (ड) भ.ज. (ड) | Га.нт.у. Та.нт.у. | आ.दु.घ. | इ.मा.а. | अारक्षित ०२ | (खुला) | पदे |
| ४०८/२०२३ | त्रिषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public Health Dentistry) विषय दंतविकृती व अणुजीवशास्त्र (Oral | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला खेळाडू अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण | ०१ अ.जा. ०१ | эх.ज. | (31) 02 Ga.जा. (31) 02 02 | (অ) | (क) (क) | (종) (종) | Га.нт.у. Та.нт.у. | आ.दु.घ. | इ.मा.а. | अरिक्षित ०२ अरिक्षित एकूण आरिक्षित ०२ ०२ | (खुला) | पदे |
| ४०८/२०२३ | विषय सामाजिक दंतशास्त्र (Public Health Dentistry) विषय दंतविकृती व अणुजीवशास्त्र | दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला खेळाडू अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण | ०१ ०१ अ.जा. | अ.ज. | (अ) -१ (अ) -१ | (অ) | (क) (क) | (ड) भ.ज. (ड) | Га.нт.у. Та.нт.у. | आ.दु.घ. | इ.मा.а. | अारक्षित ०२ | (खुला) | पदे |

४. विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, गट-ब - शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय

४.१ उपलब्ध पदसंख्या:- १२

४.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्रमांक | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण पदे |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (ड) | | | | आरक्षित | (खुला) | |
| | दंतपरिवेष्टन- | एकुण पदे | | ०१ | ०१ | | | | | ०१ | 1 | ०३ | | ०३ |
| | शास्त्र | सर्वसाधारण | | ०१ | ०१ | | | | | ०१ | | ०३ | | ०३ |
| | (Periodontology) | महिला | | | | | | | | | | | | |
| | | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्रमांक | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण पदे |
| | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (ड) | | | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ४११/२०२३ र | दंतविकृती व | एकुण पदे | ०१ | ०१ | | | | | | ०१ | | ०३ | ०१ | ०४ |
| ; | अणुजीवशास्त्र | सर्वसाधारण | ०१ | ०१ | | | | | | ०१ | | ०३ | ०१ | ०४ |
| (| (Oral | महिला | | | | | | | | | - | | | |
|]] | Pathology | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| | and | अनाथ | | | | | | | | | | | | • |
| J | Microbiology) | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्रमांक | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण | अराखीव | एकूण |
| | | | | | (अ) | (ब) | (क) | (ड) | | , | | आरक्षित | (खुला) | पदे |
| ४१२/२०२३ | सामाजिक | एकुण पदे | | - | | | | | | ०१ | ०१ | ०२ | ०१ | ०३ |
| 7 | दंतशास्त्र | सर्वसाधारण | | | | | | | | ०१ | ०१ | ०२ | ०१ | ०३ |
| | (Public | महिला | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Health | खेळाडू | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Health Dentistry) | खेळाडू अनाथ | | | | | | | | | | | | |
|] | Dentistry) | G / | | | | | | | | | | | | |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्रमांक | Dentistry) विषय | अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्रमांक | Dentistry) | अनाथ [ँ] दिव्यांग | | | वि.जा. | | | भ.ज. | | | | | अराखीव | |
| जाहिरात क्रमांक ४१३/२०२३ | Dentistry) विषय | अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
| जाहिरात क्रमांक ४१३/२०२३ | Dentistry) विषय मुखशल्यचिकि | अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित ०१ | अराखीव (खुला) ०१ | एकूण पदे |
| जाहिरात क्रमांक ४१३/२०२३ | Dentistry) विषय मुखशल्यचिकि -त्साशास्त्र | अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण | अ.जा. | अ.ज. ०१ | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | Га.нт.х. | आ.दु.घ. | इ.मा.а. | एकूण आरक्षित ०१ | अराखीव (खुला) ०१ | एकूण पदे ०२ |
| जाहिरात क्रमांक ४१३/२०२३ | Dentistry) विषय मुखशल्यचिकि -त्साशास्त्र (Oral and | अनाथ दिव्यांग प्रवर्ग एकुण पदे सर्वसाधारण महिला | अ.जा. | अ.ज. ०१ ०१ | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | а.нт.я. | आ.दु.घ. | इ.मा.а. | एकूण आरक्षित ०१ ०१ | अराखीव (खुला) ०१ ०१ | एकूण पदे ०२ ०२ |

५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

६. अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया / कालावधी:-

| अ.क्र. | तपशील | विहित कालावधी |
|--------|---|---|
| 8 | अर्ज सादर करावयाचा कालावधी | दिनांक ०२ जानेवारी, २०२४ रोजी १४.०० ते |
| | | दिनांक २२ जानेवारी, २०२४ रोजी २३.५९ |
| २ | ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता अंतिम दिनांक | दिनांक २२ जानेवारी, २०२४ रोजी २३.५९ |
| ₹ | भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक | दिनांक २४ जानेवारी, २०२४ रोजी २३.५९ |
| 8 | चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक | दिनांक २५ जानेवारी, २०२४ रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये |

७. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी:-

- 9.९ भरावयाच्या उपरोक्त संवर्ग / पदांचा सामाजिक / समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील शासनाच्या मागणीपत्रानुसार आहे. तसेच, वर नमूद केलेल्या पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.
- **७.२** शासनाकडून पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल प्राप्त झाल्यास याबाबतची माहिती / बदल वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल व त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
- **७.३** विविध मागास प्रवर्ग, महिला, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू, अनाथ इत्यादींसाठी सामाजिक व समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील.
- **७.४** शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-महिआ २०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२, दिनांक ०४ मे, २०२३ अन्वये विहित कार्यपध्दतीनुसार अराखीव महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी अराखीव महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
- ७.५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणा-या महिलांना संबंधित मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी लागू राहतील.

- ७.६ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरीता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून इतर सर्व मागास प्रवगातील महिलांसाठी नॉन-क्रीमीलेअरमध्ये मोडत असल्याबाबतचा स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे.
- ७.७ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.
- ७.८ अर्ज करताना एखादी जात/जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.
- **७.९** समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- **७.१०** आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ व दिनांक ३१ मे, २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, सादर करणे आवश्यक राहील.
- ७.**११** शासन शुध्दीपत्रक, इतर समाज बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७६/मावक, दिनांक ०९ मार्च, २०२३ अन्वये शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, संबंधित उमेदवार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गटात मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी कालावधी विचारात घेण्यात येईल. प्रस्तुत संवर्गाकरीता २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाचे उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.
- ७.१२ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
- ७.**१३** अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता गुणवत्तेच्या आधारे सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमृद करणे बंधनकारक आहे.
- **७.१४** कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.
- ७.१५ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतींचा दावा करणा-या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरुन वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. वैध प्रमाणपत्रांचा कालावधी संबंधित शासन आदेशावरील तरतुदीनुसार (लागू असेल त्याप्रमाणे) ग्राह्य समजण्यात येईल.
- **७.१६** सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.

७.१७ खेळाडू आरक्षण:-

- ७.१७.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, दिनांक ३० जून, २०२२ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- ७.१७.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.
- ७.१७.३ विहित दिनांकास खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.
- ७.१७.४अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पुर्वीचे सक्षम क्रीडा प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले क्रीडा प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास अथवा सदर प्राधिकरणाकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती सादर केली नसल्यास, संबंधित उमेदवाराचा खेळाडूकरीता आरक्षित पदावर विचार करण्यात येणार नाही.
- ७.१७.५कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी संबंधित संवर्ग/ पदाकरीता विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र, प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता उमेदवार पात्र ठरतो, याविषयी सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले विहित दिनांकास वैध असलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशीकरीता विचार करण्यात येईल.
- ७.१७.६ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

७.१८ दिव्यांग आरक्षण:-

- **७.१८.१** दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- **७.१८.२** शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक संकीर्ण १०२१/प्र.क्र. ५७/२१/वैसेवा-१, दिनांक १७ जून, २०२१ अन्वये खालील दिव्यांग प्रवर्गातील व्यक्ती /उमेदवार सदर पदाकरीता अर्ज करण्यास पात्र आहेत:-

| संवर्ग | विषय | पात्र दिव्यांग सुनिश्चिती | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| प्राध्यापक, गट-अ | दंतव्यंगोपचारशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, | | | | | |
| | (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) | (4) Special Learning Disability | | | | | |

| | सामाजिक दंतशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, Both Leg, |
|--------------------|--|--|
| | (Public Health Dentistry) | Dwarfism, Leprosy Cured, (4) Special Learning Disability |
| | दंतिवकृती व अणुजीवशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) One Leg, Dwarfism, Leprosy |
| | (Oral Pathology and Microbiology) | Cured, (3) Special Learning Disability |
| | मुखरोगनिदान व क्ष-किरणशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, |
| | (Oral Medicine and Radiology) | Dwarfism, (4) Special Learning Disability |
| | मुखशल्यचिकित्साशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) Dwarfism, Leprosy Cured, |
| | (Oral and Maxillofacial Surgery) | (3)Special Learning Disability |
| | दंतपरिवेष्टनशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) One Leg, Dwarfism, Leprosy |
| | (Periodontology) | Cured, (3) Special Learning Disability |
| सहयोगी प्राध्यापक, | कृत्रिमदंतशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, |
| गट-अ | (Prosthodontics and Crown and Bridge) | Dwarfism, (4) Special Learning Disability |
| | दंतव्यंगोपचारशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, |
| | (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) | (4)Special Learning Disability |
| | दंतपरिवेष्टनशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) One Leg, Dwarfism, Leprosy |
| | (Periodontology) | Cured, (3) Special Learning Disability |
| | बालदंतरोगशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, |
| | (Paediatric and Preventive Dentistry) | Dwarfism, Leprosy Cured, (4) Special Learning Disability |
| | सामाजिक दंतशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, Both Leg, |
| | (Public Health Dentistry) | Dwarfism, Leprosy Cured, (4) Special Learning Disability |
| | दंतिवकृती व अणुजीवशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) One Leg, Dwarfism, Leprosy |
| | (Oral Pathology and Microbiology) | Cured, (3) Special Learning Disability |
| सहायक प्राध्यापक, | दंतपरिवेष्टनशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) One Leg, Dwarfism, Leprosy |
| गट-ब | (Periodontology) | Cured, (3) Special Learning Disability |
| | दंतविकृती व अणुजीवशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) One Leg, Dwarfism, Leprosy |
| | (Oral Pathology and Microbiology) | Cured, (3) Special Learning Disability |
| | सामाजिक दंतशास्त्र | (1) Low Vision, (2) Hard Hearing, (3) One Leg, Both Leg, |
| | (Public Health Dentistry) | Dwarfism, Leprosy Cured, (4) Special Learning Disability |
| | मुखशल्यचिकित्साशास्त्र | (1) Hard Hearing, (2) Dwarfism, Leprosy Cured, |
| | (Oral and Maxillofacial Surgery) | (3)Special Learning Disability |

- ७.१८.३ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.
- ७.१८.४ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग/पदाकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील.
- ७.१८.५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.
- **७.१८.६** संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी / सवलतीसाठी पात्र असतील.
- ७.१८.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:-
 - (१) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सवलती.
 - (२) दिव्यांगत्याचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय सायी सवलती
- **७.१८.८** लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजिनक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रिक-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या <u>www.swavlambancard.gov.in</u> अथवा SADM या संगणकीय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
- ७.१८.९ लक्षणीय दिव्यांगत्व असणा-या उमेदवारांना अर्जामध्ये नमूद केलेला दिव्यांगत्वाचा प्रकार / उप प्रकार बदलणे अनुज्ञेय नाही.

७.१९ अनाथ आरक्षण :-

- **७.१९.१** अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक: अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक ६ एप्रिल, २०२३, दिनांक १० मे, २०२३ नुसार शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील.
- **७.१९.२** अनाथ आरक्षण धोरण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, पूरकपत्र क्रमांक: अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक १० मे, २०२३ अन्वये एखाद्या भरती प्रक्रियेमध्ये अनाथ आरखणाच्या एका प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागांवर गुणवत्तेनुसार त्या प्रवर्गातील अनाथ उमदेवार पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकले नाहीत तर त्या भरती प्रक्रियेमध्ये ती पदे अनाथांच्या दुस-या प्रवर्गातील उमदेवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील.
- **७.१९.३** अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे; त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.
- ७.१९.४ प्रस्तुत पदासाठी अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२२, दिनांक ६ एप्रिल, २०२३ आणि दिनांक १० मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आयोगाकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

८. वेतनश्रेणी :-

| संवर्ग | वेतनश्रेणी |
|------------------------|--|
| प्राध्यापक, गट-अ | रुपये १,४४,२००/- ते रुपये २,१८,२००/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते. |
| सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ | रुपये १,३१,४००/- ते रुपये २,१७,१००/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते. |
| सहायक प्राध्यापक, गट-ब | रुपये ५७,७००/- ते रुपये २,११,५००/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते. |

९. पात्रता :-

९.१ भारतीय नागरिकत्व

९.२ वयोमर्यादा :-

| संवर्ग | वयोमर्यादा | किमान | | | | कमाल वय | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|--|----|
| | गणण्याचा दिनांक | अमागास / मागासवर्गीय/ | अराखीव (खुला) | मागासवर्गीय/ आ.दु.घ./ | प्राविण्य | प्राविण्य प्राप्त खेळाडू | | माजी सैनिक, आणिबाणी व अल्पसेवा राजदिष्ट अधिकारी | |
| | | आ.दु.घ. | | अनाथ | अराखीव | मागासवर्गीय/ | अराखीव | मागासवर्गीय/ | |
| | | | | | (खुला) | आ.दु.घ./अनाथ | (खुला) | आ.दु.घ./अनाथ | |
| प्राध्यापक, गट-अ | २२ | १८ | ५० | ५५ | ५० | ५५ | | | ५० |
| सहयोगी प्राध्यापक, गट-अ | जानेवारी, २०२४ | १८ | ४५ | ५० | ४५ | ५० | | विचा कालावधी धक ३ वर्षे | ४५ |
| सहायक प्राध्यापक, गट-ब | [अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक] | १८ | ४० | ४५ | 83 | ४५ | 511 | 447 Y 44 | ४५ |

- ९.२.१ सर्व संवर्गांकरीता, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचा-यांना उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षापर्यन्त शिथिलक्षम राहील.
- **९.२.२** महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी, मागासवर्गीय उमेदवार, दिव्यांग आणि खेळाडू यांना असलेली वयोमर्यादेतील शिथिलतेची सवलत यापैकी कोणतेही अधिकत्तम असलेली एकच सवलत देय राहील.
- ९.२.३ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-सनिव-२०२१/प्र.क्र.१४/कार्या-१२, दिनांक ०३ मार्च, २०२३ अनुसार कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्ष इतकी शिथिलता देण्यात येत आहे.

१०. शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव:-

१०.१ शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव -

| विषय | शैक्षणिक अर्हता | अनुभव |
|---|---|---|
| प्राध्यापक, | A Bachelor's Degree in Dental Surgery from an Indian | Experience of teaching the concerned subject as an Associate |
| गट-अ | University with Masters in Dental Surgery or Diplomat | Professor in recognized Dental College for not less than five |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | of National Board recognized by the Government of | years and should have acquired total score of minimum Thirty |
| | India on the recommendation of Council, in the | points regarding research publications as per the provisions of |
| | concerned subject. | the Schedule-II. |
| सहयोगी | A Bachelor's Degree in Dental Surgery from an Indian | Experience of teaching the concerned subject as an Assistant |
| 1119211112 | University with Masters in Dental Surgery or Diplomat | Professor in recognized Dental College for not less than four |
| प्राध्यापक, | of National Board recognized by the Government of | years after completion of Masters in Dental Surgery and |
| गट-अ | India on the recommendation of Council, in the | should have acquired total score of minimum Twenty points |
| | concerned subject. | regarding research publications as per the provisions of the |
| | · · | Schedule-II |
| सहायक | A Bachelor's Degree in Dental Surgery from an Indian | Experience as a Clinical Assistant or Dental Surgeon or Senior |
| THOST THE | University with Masters in Dental Surgery or Diplomat | Resident or Tutor or any equivalent post in any recognized |
| प्राध्यापक, | of National Board recognized by the Government of | Dental or Medical College for not less than one year, gained |
| गट-ब | India on the recommendation of Council, in the | after acquire the degree of Bachelor of Dental Surgery or |
| | concerned subject. | Master of Dental Surgery. |

SCHEDULE - II

| Sr.No. | Category | Requirements | Points |
|--------|--------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Category-I | 1) Journals Indexed to PubMed-Medline | Fifteen marks for each |
| 1 | | 2) Journals published by Indian or International Dental Specialty Associations approved by Dental Council of India. | contribution mentioned in column-3. |
| | Category-II | 1) Medical or Dental Journals published by Government Health | Ten marks for each |
| | | Universities awarding dental degree or Government Universities awarding dental degree. | contribution mentioned in column-3. |
| 2 | | 2) Original Research or study approved by the Indian Council of Medical | |
| - | | Research (ICMR) or Similar Government Bodies. | |
| | | 3) Author of Text or Reference Book concerned to respective speciality, | |
| | | 4) Doctor of Philosophy or any other similar additional qualification after | |
| | | Masters in Dental Surgery | |
| | Category-III | 1) Journals published by Deemed Universities or Dental Institutions or | Five marks for each |
| 3 | | Indian Dental Association. | contribution mentioned in |
| | | 2) Contribution of Chapters in the Text Book. | column-3. |

Note:

- 1. For any publication, except original research, first author (principal author) shall be given 100% marks and remaining authors (co-authors) shall be given 50% marks and upto a maximum of 5 co-authors will be considered.
- 2. For original research, all authors shall be given equal points and upto a maximum of 6 authors shall be considered.
- 3. Maximum of 3 publications shall be considered for allotting points in Category III.
- 4. Publication in tabloids or souvenirs or dental news magazines or abstracts of conference proceedings or letter of acceptance shall not be considered for allotment of marks.
- 5. The candidate must have to secure minimum 30 and 20 marks from any one, two or all three categories mentioned in column-2 for the post of professor and Associate professor respectively.

- **?o.?** Educational qualification and experienced mentioned in 10.1 above shall stand amended in accordance with the recognition or de-recognition, as the case may be, of such educational qualification and experience by the Dental Council of India or equivalent body established by Government of India, from time to time.
- **?o.3** A person selected on the posts of Professor / Assosciate Professor / Assistant Professor should have registered their names as er provisions of the Dental Act, 1948 (16 of 1948) or their names should have been registered in the register maintained under the said Act.

१०.४ शैक्षणिक अर्हता गणना करण्याचा दिनांक:-

- १०.४.१ प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज सादर करण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास संबंधित शैक्षणिक अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
- १०.४.२ अनुभवाच्या कालावधीची गणना प्रस्तृत जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज सादर करण्याकरीता विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास करण्यात येईल.
- **१०.५ अनुभवाच्या दाव्यांबाबत:** आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे विविध स्वरुपाचे दावे करताना अथवा दावे अद्ययावत करताना प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरुन अनुभवाच्या दाव्यांनुसार पात्र होण्यासाठी उमेदवाराने प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गांकरीता Nature of Job Teaching तसेच सहायक प्राध्यापक संवर्गाकरीता Nature of Job Resident / Clinical / Teaching असे नमूद करणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय, ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज स्वीकृत होऊ शकणार नाही.
- **११. कर्तव्ये व जबाबदा-या**:- प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदा-या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या <u>https://mpsc.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

१२. निवडप्रकिया:-

- **१२.१** प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून, किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरिता पात्र असणार नाही.
- **१२.२** जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त अर्जाची संख्या आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील तरतुदीनुसार वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोयीस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अर्हता आणि/अथवा अनुभव यापेक्षा अधिक शैक्षणिक अर्हता/अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष यांच्या आधारे अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल.
- १२.३ चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही.
- १२.४ चाळणी परिक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी (लागू असल्यास) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येतील.
- **१२.५** चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल.
- १२.६ मुलाखतीमध्ये किमान ४१% व त्यापेक्षा जास्त गृण मिळविणाऱ्या उमेदवारांचाच शिफारशीसाठी विचार केला जाईल.
- **१२.७** प्रस्तुत पदाची निवड प्रक्रिया वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवेतील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्राध्यापक, गट-अ, सहयोगी प्राध्यापक, गट-अ आणि सहायक प्राध्यापक, गट-ब (सेवाप्रवेश नियम) २०२३, तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी सुधारण्यात येणा-या कार्यनियमावली / कार्यपध्दतीनसार राबविण्यात येईल.
- **१२.८** अंतिम शिफारस यादी तयार करताना समान गुण धारण करणा-या उमेदवाराची क्रमवारी (Ranking) आयोगाच्या दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकामधील तरतुदीन्सार निश्चित करण्यात येईल.

१३. अर्ज करण्याची पध्दत:-

१३.१ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे:-

- **१३.१.१** आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर यापूर्वी विहित पध्दतीने नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करुन खाते (Profile) तयार करणे.
- १३.१.२ खाते तयार केलेले असल्यास व ते अदययावत करण्याची आवश्यकता असल्यास अद्ययावत करणे.
- १३.१.३ विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करणे.
- १३.१.४ परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे.

१३.२ विहित प्रमाणपत्र/कागदपत्रे अपलोड करणे.

१३.२.१ प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने उमेदवाराची पात्रता अजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लाग असलेली) अपलोड करावी लागतील:-

| अ. क्र. | प्रमाणपत्र/कागदपत्र | फाईल फॉर्मेट | किमान फाईल | कमाल फाईल |
|---------|--|--------------|------------|-----------|
| | | | साईज (KB) | साईज (KB) |
| १ | अर्जातील नावाचा पुरावा (एस.एस.सी. अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता) | PDF | ५० | 400 |
| २ | वयाचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| 3 | शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| 8 | सामाजिकदृष्टया मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| ч | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| ξ | वैध नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र | PDF | ५० | 400 |
| 9 | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| ۷ | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| 9 | अनाथ आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| १० | खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | 400 |
| ११ | अराखीव महिला, मागासवर्गीय, आ.दु.घ., खेळाडू, दिव्यांग, अनाथ, माजी सैनिक आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र | PDF | ५० | 400 |
| १२ | एस.एस.सी. नावात बदल झाल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| १३ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |

| 88 | लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन | PDF | ५० | 400 |
|----|---|-----|----|-----|
| १५ | विहित अनुभवाचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| १६ | जाहिरातीनुसार आवश्यक प्रकाशने असल्याचा पुरावा (फक्त प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गाकरीता) | PDF | ५० | ५०० |
| १७ | राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्याकरीता वयोमर्यादेतील सवलतीचा दावा असल्यास सादर करावयाचे प्रमाणपत्र | PDF | ५० | 400 |
| १८ | अर्ज करण्याच्या अतिम दिनांकास दंतवैद्य अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा १६) अन्वये नोंद केलेल्या नवीकरण केलेल्या प्रमाणपत्राची अद्ययावत प्रत | PDF | ५० | ५०० |

- **१३.२.२** उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' प्रकरण क्रमांक चार मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे.
- **१३.२.३** संबंधित जाहिरातीस अनुसरुन विहित निकष/पात्रता तसेच प्रोफाईलमधील दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. प्रोफाईलमधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अपलोड करावयाची संबंधित कागदपत्रे प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करताना प्रदर्शित होतील.
- १३.२.४ पात्रतेसंदर्भातील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही.
- १३.२.५ अनुभवाच्या दाव्याच्या पृष्ट्यर्थ उमेदवारांनी संबंधित संस्थेच्या नाममुद्रीत पत्रावर सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले सविस्तर व परिपूर्ण अनुभव प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये उमेदवाराचे नाव, पदाचे नाव, पदाचा तपशील, वेतनश्रेणी, अर्जात दावा केलेल्या पदावरील अनुभवाचा कालावधी व पदावरील नेमणूकीचे स्वरुप इ. स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

१३.३ सर्वसाधारण:-

- (एक) अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील.
- (दोन) अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ:- https://mpsconline.gov.in
- (तीन) ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सिवस्तर सूचना आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
- (चार) आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

१३.४ शुल्क (रुपये) :-

- (एक) अराखीव (खुला) रुपये ७१९/-
- (दोन) मागासवर्गीय / आर्थिक दुर्बल घटक / अनाथ / दिव्यांग रुपये ४४९/-
- (तीन) उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यितरिक्त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील.
- (चार) परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.
- **१३.५** अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध होणाऱ्या 'Submit and Pay fees' या बटनवर क्लिक केल्यानंतर किंवा मुख पृष्ठावरील 'माझे खाते' या सदराखालील अर्ज केलेल्या पदांच्या यादीतील 'Fees not Paid' अशी सद्यस्थिती लिहिलेल्या जाहिरात/पद/परीक्षेसमोरील ' Pay Now' या लिंकवर क्लिक करुन परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल.
- १३.६ परीक्षा शुल्काचा भरणा खालील दोन पध्दतीने करता येईल:-

(एक) ऑनलाईन पध्दतीने :-

- (१) भारतीय स्टेट बँक तसेच प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या कोणत्याही एका पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगद्वारे परीक्षा शुल्क अदा करता येईल.
- (२) परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँक खात्यामधून परीक्षा शुल्काच्या रकमेची वजावट झाल्यावर परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे झाला (Payment Successful) असल्याचा संदेश आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या पृष्ठावर प्रदर्शित झाल्याशिवाय व परीक्षा शुल्काची पावती तयार झाल्याशिवाय संकेतस्थळावरील संबंधित पृष्ठावरून आणि/अथवा खात्यातून लॉगआऊट होऊ नये.
- (३) परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी झाला आहे किंवा कसे, याची स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. खात्यातून Logout होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क यशस्वीपणे भरले असल्याबाबत व बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे.
- (४) कोणत्याही कारणामुळे विहित कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे करणे शक्य न झाल्यास अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर दोन दिवसापर्यंत परीक्षाशुल्काचा भरणा ऑफलाईन पद्धतीने करण्याकरीता चलनाची प्रत घेता येईल.

(दोन) ऑफलाईन पध्दतीने (चलनाद्वारे) :-

चलनाद्वारे परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याचा विकल्प निवडल्यास उपलब्ध होणारी चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत विहित अंतिम दिनांकापूर्वी परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल. तथापि, चलनाची प्रत घेणे व बँकेत शुल्क जमा करणे, यामध्ये किमान तीन तासांचे कालावधी राहील, याची दक्षता घ्यावी.

- **१३.७** परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या/अधिसूचनेच्या अनुषंगाने विहित दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली जाणार नाही.
- **१३.८** विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करु न शकलेल्या उमेदवारांचा संबंधित भरतीप्रक्रियेकरीता विचार केला जाणार नाही. यासंदर्भात आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांमधील संबंधित तरतुदींचे अवलोकन करणे उमेदवारांच्या हिताचे राहील.

१४. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती:-

- १४.१ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील:-
 - (**एक**) जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा

- (**दोन**) हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा
- (तीन) शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.), क्रमांक: मातंसं-२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१३, शासन पूरकपत्र, क्रमांक मातंसं-२०१२/प्रक्र.२७७/३९, दिनांक ०८ जानेवारी, २०१८ व १६ जुलै, २०२१ अथवा महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा
- (খার) A person appointed to the posts of Professor / Assosciate Professor / Assistant Professor shall be liable to transfer in any of the Government Dental Colleges under the Department in the State of Maharashtra.
- (**पाच**) A person selected on the posts of Professor / Assosciate Professor / Assistant Professor should have registered their names as er provisions of the Dental Act, 1948 (16 of 1948) or their names should have been registered in the register maintained under the said Act.
- (মহা) A person appointed on the post, if so required, be liable to serve in any Defense services of India or in post connected with the Defense of India anywhere in or outside India for a period of not less than four years (including the period spent on training by such candidates), as may be determined from time to time by the Government of India

Provided that such person shall not be required to serve as aforesaid after expiry of ten years from the date of his appointment and ordinarily after he has attended the age of fifty-five years.

- (মান) The terms and conditions prescribed in these Rules shall be complied with the appointment in the Government Service.

 Subsequently, the Maharashtra Civel Services Rules and other prevailing enactments / Government Resolutions / Government Orders with regard to serve matters as prescribed from time to time, shall be applicable to the concerned Government servant.
- (**आठ**) निवड झालेल्या उमेदवारास खाजगी व्यवसाय करण्यास बंदी असन त्याऐवजी नियमाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देय होईल.
- **१४.२** शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक क्रमांक-परिवी-२७१४/प्र.क्र३०२/कार्या.८, दिनांक २२ जून, २०२१ अन्वये विहित कार्यपध्दतीनुसार परिवीक्षा धोरणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- १५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती तसेच जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल.

१६. सदर जाहिरात आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठिकाण : नवी मुंबई. दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२३ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

- (१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
- (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मुळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास शिफारस/नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही.